


सहायक उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गाढ (राज.)

(मौठारथीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल: तहसीलदार)

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 519/25 दायर दिनांक 02/10/25 निर्णय दिनांक 02/10/25



क्र.सं.	नाम-ग्राम	खान	रिपोर्ट		कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	<u>मुस्ताक्षर</u>	<u>180</u>	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टि</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर</p> <p>शुद्ध प्रविष्टि</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया</p>		<p>तहसीलदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>मुस्ताक्षर</u> प.ह. <u>कलक्टर</u> खातासं: <u>180</u> में वर्तमान प्रविष्ट स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>
प्रतिनिधि पालनार्थ:-			हस्ताक्षर पटवारी	हस्ताक्षर पिरसावर	पदेन सहायक कलक्टर कपासन

पटवारी कलक्टर

तहसीलदार (उपखण्ड अधिकारी) कपासन

1. पटवारी पटवार मण्डल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद कर लिये जायें।

तहसीलदार कपासन

तहसीलदार (भू.अ.) कपासन